हिंदी कब बनेगी राष्ट्रभाषा ?

डॉ. अनुभा गुप्ता
उज्जैन (म.प्र.)

हिंदी देश की वह भाषा है जिसे अधिकांश भारतीय लिखते, बोलते और पढ़ते हैं। अन्य शब्दों में, उसमें अपना कार्य करते हैं। बहुसंख्यक लोगों की यह मातृभाषा भी है। इसके बावजूद आज तक उसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। यह एक दुर्भाग्य की बात है।

हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। यही तो हमारी भाषाई विविधता है। कोई हमारी मातृभाषा है तो कोई हमारी दूसरी या तीसरी पसंद। इसके अलावा, अंग्रेजी का इस्तेमाल संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। हिंदी पर अंग्रेजी भाषा इतनी हावी हो गई है कि हिंदी भाषी भी अंग्रेजी बोलने में गर्व का अनुभव करते हैं। जब अपने ही हिंदी के दुश्मन हों, तो दूसरों से मैत्री की उम्मीद कैसे की जा सकती है ?

हिंदी अत्यन्त समृद्ध भाषा है। इसका साहित्य, शब्दकोश अत्यन्त विशाल है। इसमें ऐसे ऐसे कवि, लेखक, कहानीकार, नाटककार, व्यंग्यकार और रचनाकार हुए हैं, जिनकी प्रसिद्धि विश्वभर में है। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इन सबके बावजूद हिंदी का वैसा विकास नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था।

हिंदी के समक्ष एक चुनौती यह भी है कि तकनीकी शब्दों का या तो उसमें अभाव है अथवा उनका हिंदीकरण इतना क्लिष्ट है कि समझ से परे है। इसलिए जहां तकनीकी शब्दों की आवश्यकता होती है, अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल हो रहा है। हिंदी जानकारों को इस बारे में सोचना चाहिए तथा सरल तकनीकी शब्दों को बनाना चाहिए।

14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल एक दिन हम इसे मनाते हैं। हिंदी के प्रति अपने समर्पण की बात करते हैं, हिंदी में काम करने की शपथ लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ भूल जाते हैं। यानी ढाक के वही तीन पात।

हिंदी का किसी भी अन्य देशी या विदेशी भाषा से कोई बैर नहीं है और न ही वह किसी की विरोधी है। हर भाषा फले, फूले, इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल यह है कि आज तक उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। कई लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते या समझते हैं, लेकिन कहने और समझने मात्र से तो वह राष्ट्रभाषा नहीं बन जाती।

यह कैसी विडम्बना है कि हम हिंदी सम्मेलन आयोजित करते हैं, संगोष्ठियां आयोजित करते हैं। शोध पत्र पढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद नतीजा शून्य।

यह भी एक आश्चर्य की बात है कि विदेशों में हिंदी लोकप्रिय होती जा रही है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाता है। लेकिन अपने ही देश में यह उपेक्षित है।

हिंदी को देश की आत्मा माना जाता है। यह भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसके बाद भी उसे दोयम दर्जे का समझा जाना कहां तक उचित है ?

विश्व के सभी देशों में अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। क्या यह हिंदी का अपमान नहीं है ?

हमारे देश में अनेक प्रदेश हैं। इन प्रदेशों की अपनी भाषा हो सकती है, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तेलगू, असमी, कन्नड, तमिल, मलयालम आदि। ये वे भाषाएं हैं जो अपने राज्य में प्रमुखता से बोली जाती हैं। लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो इन राज्यों में भी कम–अधिक रूप से बोली जाती हैं। यानी वहां भी हिंदी भाषी हैं। ऐसा नहीं है कि उक्त राज्य के निवासी हिंदी नहीं जानते। अपनी मातृभाषा के बाद हिंदी को ही पसंद करते हैं। लेकिन जब जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात उठती है, अहिंदी भाषी राज्यों से विरोध के स्वर उठने लगते हैं। हर बार ऐसा ही होता है और मुद्दा ठंडे बस्ते में चले जाता है।

हिंदी के विरोध में कई बार आंदोलन हुए, जिनकी वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा अटकता चला गया। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर कभी आन्दोलन नहीं हुए? क्यों ? क्या हिंदी के समर्थकों में इतना साहस नहीं कि वे जनमानस में वैचारिक क्रांति ला सकें ? हमें यह प्रण करना होगा कि चाहे जो हो जाए, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर रहेंगे।

हमें अहिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों को यह समझाना होगा। हिंदी का प्रादेशिक भाषाओं से कोई टकराव नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन उससे राष्ट्रभाषा होने का दर्जा छीना नहीं जा सकता।

एक समय था, जब हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं इतनी लोकप्रिय थीं कि पूछो मत। धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सारिका, पराग, दिनमान के अपने लाखों पाठक थे लेकिन धीरे–धीरे ये पत्रिकाएं बंद होती गईं। गैर व्यावसायिक हिंदी पत्रिकाओं के दुर्दिन चल रहे हैं और वे भी बंद होती जा रही हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में इनकी अपनी भूमिका थी जो अब नहीं है।

यही बात समाचार पत्रों की है। छोटे समाचार पत्र तो काफी पहले से छपना बंद हो गए थे। कुछेक अखबारों को छोड़ शेष सभी की प्रसार संख्या घटी है। हां, टीवी चैनलों में हिंदी चैनल अवश्य हावी हैं। पढ़े–लिखे लोग हिंदी समाचार पत्रों को दोयम दर्जे का मान अपने यहां नहीं लगवाते। उनके यहां अंग्रेजी न्यूज पेपर्स ही पढ़े जाते हैं।

हिंदी माध्यम के स्कूलों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। हिंदी स्कूल गरीबी का प्रतीक बनकर रह गए हैं। गरीब, मध्यम वर्ग के बच्चे ही इन स्कूलों में (विशिष्टतः सरकारी स्कूलों में) देखे जा सकते हैं। अमीर लोग तो अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। उनके लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही हैं। हमें अपनी यह सोच बदलनी होगी।

आज कम्प्यूटर और इंटरनेट का युग है। हिंदी में साफ्टवेयर, कन्टैंट आदि की कमी है। हिंदी में भी हर तरह की सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध होनी चाहिए।

हिंदी माध्यम की पुस्तकों को सहायता प्रदान कर उनका मूल्य कम करना जरूरी है, ताकि पाठक पुस्तकें क्रय करने में रूचि लें और हिंदी को अपनाएं।

हिंदी बोलने पर हमें गर्व होना चाहिए। शान से कहना होगा कि हिंदी हमारी भाषा है। भारत में जब भी हम किसी से मिलें, हिंदी में ही बात करें। अंग्रेजी का इस्तेमाल तभी करें जबकि सामने वाले को हिंदी समझ में नहीं आती हो। हमें अहिंदी भाषियों को भी हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं है।

अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके लिए विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं।

जिस तरह हिंदी राज्यों के लोग बड़े शौक से साउथ की फिल्में देखते हैं। साउथ के लोग हिंदी फिल्मों को उसी चाव से नहीं देखते। हिंदी फिल्में, टीवी सीरियल आदि संपूर्ण भारत में देखे जाएं, इस बात का प्रयास करना चाहिए। रेडियो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाता है। खासतौर पर लोग हिंदी में अपना नाम और पसंदीदा गीत सुनना पसंद करते हैं।

अहिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को हिंदी राज्यों में शैक्षणिक टूर पर भेजा जाना चाहिए। इससे उनका वैमनस्य दूर होगा और हिंदी के प्रति उनका रूझान बढ़ेगा।

आज भी प्राइवेट कम्पनियों में जॉब के लिए इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होता है। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आतीं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नौकरी तक नहीं देती। हमारे अपने देश की बड़ी कम्पनियां भी उन्हीं को काम पर रखती हैं, जो धाराप्रवाह इंग्लिश बोल, लिख और पढ़ सकते हों। ऐसे में नौकरी का इंतजार करने वाले युवा भला हिंदी क्यों पढ़ें ? कैरियर की खातिर वे अंग्रेजी सीखते हैं। कम से कम भारतीय कम्पनियां तो अंग्रेजी का मोह छोड़ें। हिंदी में काम करने में हर्ज क्या है?

हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा में छपे विज्ञापनों को देख बड़ी कोफ्त होती है। क्या विज्ञापनदाता उसे हिंदी में प्रकाशित नहीं करवा सकते?

कुछ राज्यों के भाषा विभाग द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा में पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसमें पंजाब सरकार के भाषा विभाग की 'पंजाब सौरभ' विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। पंजाब की पत्रिका होते हुए भी हिंदी के उत्थान और विकास में इसका प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में प्रयास करना चाहिए।

यदि हमें हिंदी का विकास करना है तो इसे किसी पर थोपना नहीं है, अपितु कोशिश यह हो कि सामने वाला इसे स्वेच्छा से अपनाए।

राष्ट्रभाषा की उपेक्षा से देश का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

–महादेवी वर्मा